कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 194 / 12-1 : देहरादून : दिनांकः 01– ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत दादेली भन्देली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य 1.188 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10369/2015)

संदर्भः–अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 963/X-4-15/1(492)/2015 दिनांक 30–10–2015।

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 62/12–1 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसे निम्न प्रकार संलग्न प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्याविर्तित भूमि के बदले 2.376 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु ₹ 4,97,454.00 धनराशि जमा की गई है। जिलाधिकारी टिहरी के आदेश संख्या 2866/XXVI-40(2014-15) दिनांक 21.06. 2016 के क्रम में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.376 है0 वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित ग्राम–सिरणीगांव पट्टी चन्द्रबदनी तहसील–देवप्रयाग की सिविल भूमि को राजि अधिकारी मणिकनाथ द्वारा कब्जे में ले ली गई है। **(संलग्न–1)** उक्त सिविल भूमि को सचिव (प्रभारी) वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1330/X-3-21/01(492)/2015 दिनांक 05.10.2021 द्वारा **''संरक्षित वन''** घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु ₹ 19,32,612.00 की धनराशि जमा की गई है।

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि ₹ 10,03,860.00 जमा की गई है। भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों के तहत ₹ 5,32,046.00 की अतिरिक्त धनराशि जमा की जा चुकी है। **(चालान की प्रति संलग्न)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। (**प्रमाण–पत्र संलग्न**)
5	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ती पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेस–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों का वृक्षारोपण आदि की धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर के पत्र संख्या 1194/12–1(2) दिनांक 30.11.2015 से प्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि का भुगतान किया गया। (**चालान की प्रति संलग्न**)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ती पौधारेपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रसताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आदि धनराशि जमान करने हेतु देय धनरशि ₹ 34,33,926.00 Compensatory Afforestation Fund (CAF) uttaranchal SB A/C 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। (**ऑनलाईन चालान की प्रति संलग्न**)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों	प्रस्तावक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझाव का कडाई से

	एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	पालन किया जायेगा का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.01.2024 में दिये गये निर्देशानुसार भविष्य में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 एवं रूल्स–2023 के तहत दिये गये प्राविधान के अनुसार राज्य शासन द्वारा सामान्य मंजूरी (General Approval) केवल पहुँच मार्ग (Approach road) हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं, जोकि 0.10 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन से कम क्षेत्रफल हेतु प्रस्तावित हो में ही जारी किया जा सकता है अन्य वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों में नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण ना ही पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित है और ना ही 0.10 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन से कम क्षेत्रफल का है।

अतः उपरोक्त प्रकरण को भारत सरकार द्वारा जारी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 एवं रूल्स 2023 के प्राविधानों के तहत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्याः 194 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, मु0–कीर्तिनगर।

आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 62 / 12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 08 / 07 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत दंदेली भन्देली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.188 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10369/2015)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 1343 / 12–1, दिनांक 06 /01 / 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में 05 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत होने के फलस्वरूप निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा कराते हुये अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के द्वारा अपने पत्रांक 3581/12–1 दिनांक 30.06.2025 से प्रश्नगत मोटर मार्ग में संशोधित एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा कराते हुये अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत वांछित सूचना इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जा रही है कि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून
डायरी सं0 423
पत्रावली 12-1
दिनांक 11-7-25

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके उक्त वर्णित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी टिहरी
आ० का० कार्य।

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

प्र० व० सं० / नो०
18-7-25

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक–1343 / 12-1 :देहरादून: दिनांक 6/4 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत दादेली मान्देली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.188 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10369/2015)

संदर्भ :– प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित ऑनलाईन सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक 21.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 963/X-4-15/1(492)/2015 दिनांक 30–10–2015 के द्वारा प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि का आंगणन कर संशोधित एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि कैम्पाकोष में जमा करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1343 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आर.न. 3251 / 12-1
दिनांक. 19/01/2024
ए0 आर.न.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

नियतकार
प्र0 कार्य0 करें।

पु0व0अ0
18/1/24

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 3581 / 12-1 दिनांक 30/ 06 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत दंदेली भान्देली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.188 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10369/2015

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1343/12–1, दिनांक 06.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में 05 वर्षो से अधिक का समय व्यतीत होने के फलस्वरूप निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा कराते हुये अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अपने पत्रांक–1587/33सी0, दिनांक 29.08.2024 से एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू0 532046.00 दिनांक 16.08.2024 को कैम्पा कोष में जमा कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

वन विभाग
प्राप्ति 68
पत्रावली 12-1
दिनांक 2/7/25
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती
उत्तराखण्ड

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

मा0स्थि0 हू आरकाइव मेरी
02/07/25
SAO

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर
Phone no./Fax no. 01370-260070
E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1587/33 सी

दिनांक 29 /08 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ददेली भण्डोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.188 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – इस कार्यालय का पत्रांक–1257/33सी0 दिनांक 23.06.2016

महोदय,

विषय वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 963/X-4-15/1(492)/2015 दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्राप्त है। उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र के अनुसार सैद्धा क स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या पू में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है परन्तु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–1257/PO दिनांक 03.06.2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–1614/1–14(IV) दिनांक 07.01.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में Stage-I Approval जारी की जा चुकी है किन्तु 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वर्तमान तक Stage-II Approval जारी नहीं हुई है ऐसे प्रकरणों में प्रयोक्ता अभिकरण से नई दरों पर एन0पी0वी0 धनराशि जमा करवाने हेतु लिखा गया है, के क्रम में इस खण्ड़ द्वारा रू0 532046.00 की धनराशि चालान के माध्यम से बैंक में दिनांक 16.08.2024 को जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। पुनः अनुपालन आख्या प्रषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 497454.00 की धनराशि चालान द्वारा दिनांक 29.02.2016 को जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम सिरवाणी पट्टी चन्द्रबदनी की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.376 हे0मी0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0 2866/XXVI-40(2014–15) दिनांक 21.06.2016 द्वारा नामान्तरित एवं हस्तान्तरित कर दी गई है। (पत्र की फोटो प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 2 :– प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 1932612.00 की धनराशि चालान द्वारा दिनांक 29.02.2016 को जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1003860.00 चालान द्वारा दिनांक 29.02.2016 को जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 4 :– प्रस्तावक विभाग द्वारा समस्त निर्देशों पर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

शर्त सं0 5 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि रू0 532046.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में चालान के माध्यम से दिनांक 16.08.2024 को जमा कर दी गई है।

शर्त सं0 6 :– शर्त सं0–5 व 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपके उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांछित धनराशि चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक देहरादून में जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 7 :– प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)

शर्त सं0 8 :– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाईन कर दिये गये थे। (सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 9 :– प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त सं0 10 :– मलवा निस्तारण नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

–– पृष्ठ सं0 2 पर ––

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा कीजियेगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।

29/8/24

ok

(इं0 मौ0 आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1587/33 सी

दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/24

ok

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर
UTTARAKHAND
Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1257 / 33 सी दिनांक 23 / 6 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय — जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ददेली भण्डोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.188 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ — आपका पत्रांक 1194 / 12—1(2) दिनांक 30.11.2015

महोदय,

विषय वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 963 / X-4-15 / 1(492) / 2015 दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्राप्त है। शासन के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :— क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 497454.00 की धनराशि चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.224 हे0 वन भूमि के प्रर्त्यावतन के सापेक्ष दुगनी 2.448 हे0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0 2866 / XXVI-40(2014—15) दिनांक 21.06.2016 द्वारा नामान्तरित एवं हस्तान्तरित कर दी गई है। (पत्र की फोटो प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 2 :— प्रस्तावित स्थल के आस—पास / मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 1932612.00 की धनराशि चालान द्वारा ऑन लाईन जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :— एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1003860.00 चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 4 :— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 5 :— आपके उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांछित धनराशि ऑन लाईन जमा कर कॉरपोरेशन बैंक देहरादून में जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 6 :— शर्त सं0 5 के अनुसार।

शर्त सं0 7 :— प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)

शर्त सं0 8 :— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाईन कर दिये गये थे। (सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 9 :— प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त सं0 10 :— मलवा निस्तारण नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार चार—चार प्रतियों में।

(इं0 बी0 पी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर
दिनांक 23 / 6 / 2016

पत्रांक 1257 / 33 सी

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं0 बी0 पी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 08-02-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	ROAD103692015950
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	3433926/- dd no 666277
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Thirty-Four Lakh Thirty-Three Thousand Nine Hundred and Twenty-Six Rupees Only

26/02/16

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information

29/02/16

29 FEB 2016
CORPORATION BANK
75-Rajpur Road, DEHRADUN

1497454
1932612
1003860
3433926

(A)

पत्रांक संख्या 792
फाइल नं० 3340
दिनांक 27/2/16

2

::आदेश::

शासनादेश संख्या 936 / X–15 / 1(492) / 2015 दिनाँक 30.10.2015 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में दादेली–भडोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.188हे0 वन भूमि के गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को कतिपय प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.188हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष जनपद की 2.376हे0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित एवं हस्तान्तरित किये जाने की शर्त लगायी गई है।

उक्तानुपालन में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर द्वारा तहसील देवप्रयाग की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्वा (हे0में)	भूमि की किस्म
01	02		03	04	05
सिरणीगाँव	चन्द्रबदनी	36	540म0	1.064	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ङ
			524म0	1.312	
योग				2.376	

उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु शासनादेश सँख्या 2882 / XVIII(II) 11–18 (120) / 2010 दिनाँक 11.11.2011 एवं 2365 / XVIII(II) / 13–18(120) / 2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित 1.224हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 2.448हे0 सिवल सोयम भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर द्वारा प्रस्तावित की गयी कुल 2.448हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अंतरित की जाती है।

तहसीलदार देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

20/07/16

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या–2866 / XXVI- 40 (2014–15) दिनांक नई टिहरी जून,21 2016

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
6– उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर।
7– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर।
8– तहसीलदार देवप्रयाग।

आ0प0 92/12-1(2)
दिनांक 6/07/2016
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

609

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दैहली मन्डोली मो० मा० अतिरिक्त हुई NPV की धनराशि

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 13-08-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6110369241
MoEF/SG File No.	1(492)2015
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	532046/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Five Lakh Thirty-Two Thousand and Forty-Six Rupees Only

Executive Engineer
T.D., P.W.D.
Srinagar H.Q.-Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

may send a line of confirmation through Email: helpdes

challan, if the payment status has not been updated
of your challan with transaction date and reference
@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbank

कार्य का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से ददेली भण्डोली मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (लम्बाई 2.45 कि0मी0)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से ददेली भण्डोली मोटर मार्ग नव निर्माण का कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pe\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\Praman_patra_NPV_Others.doc

(70)

प्रारूप—33

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग मे ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

भू–वैज्ञानिक की आख्या।

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अधतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाए।)

ह0 /
(भू–वैज्ञानिक)
नाम व मुहर सहित

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

Geological Report of Propôsed Village Dadoli to Bhadoli Motor Road

Construction Division, PWD, Kirtinagar proposed a 6 Km **Dadoli to Bhadoli Motor Road** . As requested Er. Arvind Kumar AE, PWD, Kirtinagar, I carried out Geological investigations of the proposed road on 4th September 2011 in the presence of Er.Arvind Kumar.

General Geological Condition:

The investigated area falls in the Survey of India Toposheet No 53J/12. Geologically, the area comes under the Lesser Himalayan terrain. The proposed alignment falls around 1000-1200 meters a.m.s.l. The major ridge present in this area is roughly trending in NW-SE. At right angle to the main ridge; numerous secondary and tertiary spurs intersect the area showing highly dissected topography. The general slope is SE facing though considerable local variations are observed.

Rock types:

Lithologically, the area is constituted by Phyllites of Upper Proterozoic age. The highly fractured and shattered rocks are testimony of active tectonics in the region. Numerous local faults are also visible in the area. The rugged topography of the region indicate that the area is neotectonically active. The trend of Phyllite at the site of starting of the alignment is 35° due SSW

Detailed investigation of the alignment and suggested corrective measures are as follows:

1. The alignment bifurcates from Km 2nd of Bagwan-Jamnakhal Motor road.
2. Most of the alignment proposed will run through non cultivable fields. The terrain is gentle and is favorable for road construction.
3. There are 5 HP bends are proposed on the alignment in the following situation
    - Ist HP bend will fall in Km 1. The site is safe for HP bend as the slope is gentle and the site is on cultivable fields.
    - IInd HP bend will fall in Km 2. the site is again suitable for the bend as it will come in cultivable Fields.
    - The IIIrd bend is also proposed on the cultivable fields in Km 2 and the site is again on the cultivable fields hence suitable for the bend construction.
    - The IVth HP bend is proposed on 4th Km. the site is though slightly steeper but still safe for HP bend.

4. As the general slopes are moderate and rocks are highly jointed and fractured, so it is advised that the use of explosive should be avoided. Use of explosive may change the hydro geomorphology of this region.
5. The road alignment should be constructed with a minimum grade of 1:20 gradient and the gradient only should be reduced in the absence of other options.

73

6. Proper drains and parapet / scrubbers walls at appropriate locations be constructed as per norms of hillside road safety

7. The proposal section of the road may be geologically safe provided the construction agency (PWD) takes care of the above-mentioned corrective measures. Suggestions may be sought in future if problem arises at some point.

5.9.11

S.P. Sati
Consultant Geologist
Thapliyal Bhavan,
Ramlila Ground
Srinagar Garhwal

प्रारुप–31

परियोजना विवरण :– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता अ0 ख0 लो0 नि0 वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

(75)

प्रारूप–35

परियोजना विवरण :– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि०मी०)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be resorted using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for shadline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains. longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state PWD Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना अन्तर्गत द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया [illegible] [illegible] है

ह० /–
प्रभारी अधिकारी

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर

[illegible]

प्रारुप–36

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग मे ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि०मी०)

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल वांछित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि न्यूनतम भूमि प्रस्तावित है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6. परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये पुश्तों का रख–रखाव किया जायेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निरीक्षण हेतु आने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. न्यूनतम वन सम्पदा के उपयोग एवं वन जन्तुओं के मार्ग को ... हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य दशाओं में ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु सुनिश्चित कर लिया जाय कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी को न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेंगे।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर सर्वेक्षण शुरू करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 605 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर आरक्षण करना अथवा इन मार्गों के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य
करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेंसी से हस्तान्तरित वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर कटने वाले वृक्षों के प्रतिस्थापन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिरक्षण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढलान पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषेध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निर्णय शासकीय स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व ट्रांसमिशन लाईन के खम्भों को ऊँचा कर आवश्यकता से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

ह०/
प्रयोक्ता
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

Annexure-I

(60)

FORM - I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. Dated 15-12-2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.188 hectares** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtinagar** for **Construction of Dandeli Bhuoli Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Dandeli & Bhuoli** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.188 hactares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2.

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.

Encl. As above

Signature

(युगल किशोर पन्त)

(Yugal Kishore Pant)

जिलाधिकारी

Distt. Collector

टिहरी गढ़वाल

(61)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.188** Hectare for the construction of **Dadeli Bhandoli Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri
Dt. 15/12/2014

District Collector Cum chairman

युगल किशोर पन्त
District Tehri Garhwal
जिलाधिकारी
New Tehri
टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Dadeli Bhandoli Motor Roac (5 km) regarding FRA is as following

Sr No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.188** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other tradifional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as equired under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers

सदस्य
जिला पंचायत-भल्लेगाँव-37
जनपद- टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती
टिहरी गढ़वाल

Signature
(युगल किशोर पन्त)
(Yugal Kishor Pant)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
15-12-2014

(63)

प्रपत्र–3010 2

परियोजना का नामः मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जागणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 7.00 से दवैली–भन्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर.....

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत दवैली–भन्डोली मोटर मार्ग (0.765 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.423 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.188 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 14/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री बी0 पी0 मैठाणी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4	श्री भगत सिंह [illegible]	बी0डी0सी0 क्षे0	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जागणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से दवैली भन्डोली मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.188 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है

64

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ददैली भन्डोली मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.188 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

(65)

परियोजना का नामः– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से बामणीखाल मोटर मार्ग के K.m. 2.00 से दवेली - मन्जोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण

दिनांक 14/11/14 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद– टिहरी गढ़वाल

1.	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature]
2.	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature]
3.	श्री डी॰पी॰ गैरोला	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature]
4.	श्री [illegible] सिंह [illegible]	बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible]	सदस्य	[signature]

प्रपत्र–3ए–1

परियोजना का नाम:– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जानकीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली–भन्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मल्लेथागाव
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास** खण्ड देवप्रयाग में ददैली–भन्डोली **मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (0.765 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.423 है0 सिविल सोयम भूमि शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.188 है0 वन भूमि का **लोक निर्माण** विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ददैली भन्डोली द्वारा दिनांक 13-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ददैली–भन्डोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/ ग्राम पंचायत ....
ग्राम विकास खण्ड ...देवप्रयाग......

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट –– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही हो तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(67)

प्रपत्र 3.0.3

दिनांक 03-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भल्लेयागांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यस्क ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सुभाष रतूड़ी	[illegible]
2-	श्री कुंवर सिंह लिंगवाल	[illegible]
3-	श्री रघुवीर सिंह लिंगवाल	रघुवीर
4-	" शेर सिंह लिंगवाल	शेरसिंह
5-	" बचन लाल	बचन लाल
6-	" रघुनाथ सिंह लिंगवाल	
7-	" प्रताप सिंह लिंगवाल	प्रताप सिंह लिंगवाल
8-	" लक्ष्मण सिंह लिंगवाल	लक्ष्मण सिंह
9-	" भवान सिंह लिंगवाल	[illegible]
10-	" सुभाष लिंगवाल	[illegible]
11-	" गुरु प्रसाद बंगवाल	[illegible]
12-	" जोगी प्रसाद बंगवाल	[illegible]
13-	" जगतराम बंगवाल	जगतराम
14-	" रामकिशन बंगवाल	[illegible]
15-	" सूरत सिंह सजवाण	सूरत सिंह
16-	" मधुसूदन बलूनी	मधुसूदन
17-	" हरि सिंह पंवार	[illegible]
18-	" विजय सिंह लिंगवाल	Vijay
19-	" गोविन्द सिंह चौहान	गोविन्द सिंह
20-	" गंगाराम गोस्वामी	गंगाराम
21-	" पूर्णचन्द बंगवाल	पूर्णचन्द
22-	" धनन्जय बलूनी	धनन्जय
23-	बीना देवी	बीना लिंगवाल
24-	नरवीर सिंह	[illegible]
25-	मातवर सिंह रावत	[illegible]
26-	भरोशीराम गोस्वामी	भरोसी राम
27-	राजेश्वरी लिंगवाल	[illegible]

सदस्य सचिव ग्राम पंचायत भल्लेयागांव
हस्ताक्षर [illegible]
दिनांक
[illegible]

ग्राम पंचायत भल्लेयागांव
ग्राम प्रधान
[illegible]

(68)

प्रपत्र-३०:३०

दिनांक .... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भल्लेधागांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
२८	मनोरमा देवी	मनोरमा देवी
२९.	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
३०.	सुशीला देवी	सुशीला देवी
३१.	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
३२.	कुसुम देवी	कुसुम देवी

सदस्य क्षेत्र ... पंचायत
हस्ताक्षर [signature]
दिनांक ....
[illegible]

ग्राम पंचायत भल्लेधागांव
ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर [signature]
[illegible] टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग
नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर
मुख्यालय--कीर्तिनगर

मलवा निस्तारण प्रस्ताव

Name Of Work:- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जाखणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददौली गण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

अनुमानित लागत Rs. 5.62 लाख

INDEX

Name Of Work:- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग मे बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

Sl. No.	Detail	Page
1	Title Page	
2	Index	
3	List Of Officers	
4	Report	
5	Annexures	
6	Specifications	
7	Analysis Of Rates	
8	Detail Of Measurement	
9	Bill Of Quantity	
10	Summary of Estimated Cost	

List of Names of Concerned Engineers Associated With The Estimating & Costing

Sl. No.	Name of Officials	Designation	Signature With Date
1	Er. B. P. Nautiyal	Executive Engineer	
2	Er. H.B.Maithani	Assistant Engineer	[signature]
3	Er. Arvind Dyundi	Junior Engineer (Technical)	
4	Er. Manish Kotiyal	Junior Engineer	

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश 1440 / 111 (3) / 11–05 (आ0आ0)/2011 28 मार्च 2011 द्वारा कुल लम्बाई 6.00 कि0मी0, लागत 75.60 लाख प्रथम चरण स्वीकृत है। उपरोक्त मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली का पत्र स08बी/यू0सी0पी0/06/57/2014/एफ0सी0/57 के अनुसार निराकरण कर जिसमें मलवे की विस्तृत गणना के साथ मलवा निस्तारण की योजना, निर्धारित धनराशि का ब्यौरा, निस्तारित बिन्दुओं तथा उसे व्यवस्थित करने के विवरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करने हेतु वर्णित था। अतः उक्त के क्रम में यह मलवा निस्तारण प्रस्ताव गठित किया गया है।

इस विस्तृत प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु आठ डम्पिंग जोन बनाये गये हैं। जिनमें मलवा निस्तारण करने हेतु रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कार्यों हेतु कुल लागत रू0 2.89 लाख का प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता
प्र0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय–कीर्तिनगर

Rate Card Block 2: Devaprayag (TE-[illegible]) **Effective Date** 15/05/2014

Chapter Name Other Item

	Item Description	Rate In (Rs.) Rate	Unit
75476 16-1	Excavation [illegible] foundation for retaining & breast wall [illegible] all types of soils [illegible] including [illegible] and disposal of [illegible] material as per direction of engineer in charge	224.18	cu.m
75477 16-2	Random rubble stone masonry laid in mud mortar (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,033.50	[illegible]
75478 16-3	Random Rubble Masonry laid dry in breast wall [illegible], wall, parapets [illegible] including supply of all materials, labour & [illegible] royalty etc. required for proper completion of work (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,4[illegible]	cu.m
75479 16-4	[illegible] stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty [illegible] complete	573.63	[illegible]
75480 16-5	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement [illegible] sand mortar in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. (As per PWD Uttarakhand specifications)	2,[illegible]8.00	cu.m
75481 16-6	Random Rubble stone masonry in Crate walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,[illegible]	cu.m
[illegible] 16-7	Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:6 cement concrete including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work (As per PWD Uttarakhand specifications)	4,418.70	[illegible]
75483 16-8	Supply and fabrication of steel truss bridge as per detailed drawing attached including supply of all structural steel conforming IS 2062-[illegible] required for proper completion of the bridge including [illegible] erection of the bridge [illegible] use of approved quality [illegible] paint of conforming IS [illegible] all T&P, nuts and bolts, washers and [illegible] including supply and fixing of [illegible] rivets required as per drawing, required [illegible] shall be arranged by the contractor at his own cost which shall be taken back by the contractor after satisfactory completion of the job. The rates shall include [illegible] in the workshop and [illegible] after inspection [illegible] defects, [illegible] of all parts, numbering and proper stacking in the premises of workshop before carriage to site of work. The work shall be executed in accordance [illegible] IRC [illegible]. The rates shall include cost of all materials, its wastage, cutting, [illegible] if required, welding, making holes, shop [illegible], all T&P etc. required for proper completion of the work.	80,284.[illegible]	M.T
16-9	Wire Crates As per PWD Uttarakhand Specifications		
16-9-1	Wire crates in Nos		
75484 16-9-1-1	Providing and laying of wire crates [illegible] in size with [illegible] gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS 4826 in [illegible] mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	[illegible],803.75	Nos.
75485 16-9-1-2	Providing and laying of wire crates [illegible] in size with a [illegible] gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	9,[illegible]	Nos

Analysis of Rate

Name Of Work: [illegible] कि0मी0 2.00 [illegible] हेतु [illegible]

Block: Devprayag

SN	Description	Rate	Unit
75476 16-1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in charge	Cu.m	Rs. 224.10
75478 16-3	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royality etc,required for proper completion of work.(As per PWD Uttarakhand specifications)	Cu.m	Rs. 1,477.30

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

SPECIFICATIONS

Name Of Work:- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जागणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददौली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

ALL THE WORKS SHALL BE EXECUTED STRICTLY AS PER THE APPROVED SPECIFICATIONS OF UTTARANCHAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND ISSUED CIRCULARS / DIRECTIONS BY CHIEF ENGINEER

Assistant Engineer
Temp. Div. PWD Srinagar
Headquarter: Kirtinagar

Executive Engineer
Temp. Div. PWD Srinagar
Headquarter: Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- [illegible]

Sl No	Item of work	No	L	W/D	H/D	Quantity	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specification Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material, and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in/for [illegible] & [illegible] soils in all types of soils and rocks including lead lift and disposal of surplus material as per direction of engineer in charge						
	K.M. 1						
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	50.00	1.10	0.20	5.50	Cum
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	40.00	1.10	0.20	4.40	Cum
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	50.00	1.10	0.20	5.50	Cum.
	K.M.-2						
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	80.00	1.10	0.20	8.80	Cum.
	K.M.-4						
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	70.00	1.10	0.20	7.70	Cum
	K.M. 5						
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	80.00	1.10	0.20	8.80	Cum.
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	50.00	1.10	0.20	5.50	Cum
	K.M. 6						
	Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1/2	60.00	1.10	0.20	6.60	Cum.
					Total	53.90	Cum.
2	Random Rubble Masonry in cm in cast wall/retaining wall, parapet etc. [illegible] including supply of all material, labour & [illegible] etc. required for proper completion of work (As per MORTH and related specifications)						
	K.M.-1						
		1x 1	34.00	(1.1+0.6)/2	1.50	50.63	Cum.
		1x 1	34.00	(1.1+0.6)/2	1.50	50.63	Cum.
		1x 1	29.00	(1.1+0.6)/2	1.50	36.98	Cum.
	K.M.-2						
		1x 1	34.00	(1.1+0.6)/2	1.50	43.35	Cum.
		1x 1	29.00	(1.1+0.6)/2	1.50	36.98	Cum.
	K.M.-5						
		1x 1	34.00	(1.1+0.6)/2	1.50	43.35	Cum.
		1x 1	29.00	(1.1+0.6)/2	1.50	36.98	Cum.
	K.M. 6						
		1x 1	34.00	(1.1+0.6)/2	1.50	43.35	Cum.
					Total	302.18	Cum.
	Area of Nap Land for Dumping 1	1x 1	20.00	20.00		400.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping 2	1x 1	20.00	10.00		200.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping 3	1x 1	25.00	10.00		250.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping-4	1x 1	30.00	15.00	-	450.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping-5	1x 1	25.00	20.00	-	500.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping-6	1x 1	30.00	15.00	-	450.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping-7	1x 1	25.00	10.00	-	250.00	Sqm
	Area of Nap Land for Dumping-8	1x 1	30.00	10.00		300.00	Sqm
	Total Area of Nap Land				Total	2800.00	Sqm
	10000 Sqm = One Hect.					10000	
	Area of dumping yard					0.28	Hec

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] जिले के विकास खण्ड [illegible] पैदल मार्ग के किलोमीटर 2.00 से [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण से [illegible] विवरण हेतु प्रस्ताव।

Total quantity of Muck generated from road cutting

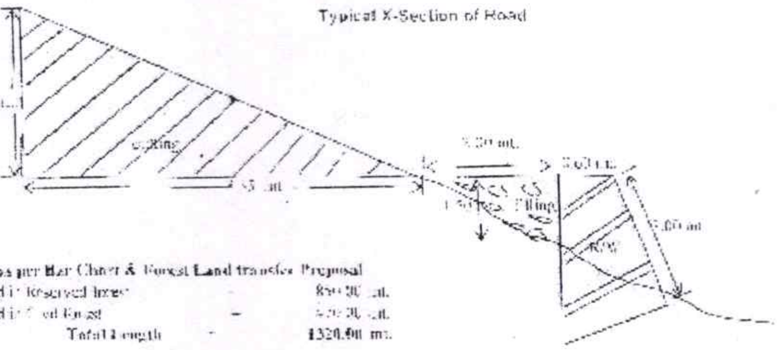

Forest Land as per Bar Chart & Forest Land transfer Proposal

A	Length of road in Reserved Forest	-	850.00 m.
B	Length of road in Civil Forest	-	470.00 m.
	Total Length	-	1320.00 m.

Calculation of Muck As Above Length

1	Quantity of muck generated from cutting	[illegible] x [illegible]	1320.00	3.35	3.00		6633.00 Cum
2	Quantity of muck from scupper & catch pit						
A	Quantity of muck from scupper in civil land	1.00 x 6.00	3.35	3.00	3.00		180.90 Cum
B	Quantity of muck from catch pit in civil land	1.00 x 6.00	(1.5x1.5-2.1x2.1)/2	2.50			33.20 Cum
	Quantity of muck from Sl No 1, & 2 as above.			G-Total			6947.10 Cum
3	Taking F.P., O.R & H.R @ 50%, 30% & 20% respectively						
i.	50% F.P.	6947.10	x	0.50	-		3473.55 Cum
ii.	30% O.R	6947.10	x	0.30			2084.13 Cum
iii.	20% H.R	6947.10	x	0.20			1389.42 Cum
				Total -			6947.10 Cum
4	Quantity of muck as swell from 30% F.P. only	1.25 x 3473.55				4341.94 Cum	
5	Quantity of total muck from total ii, iii, & 4	Sl. No (ii+iii+4)				7815.49 Cum	
	Quantity of total muck Generated		Say			7815.49 Cum	

Disposal & use of material

1	Quantity used for super elevation, grade improvement & patch filling of road @ 10%	=(7980.01 x 10/100) =	781.55 Cum
2	Quantity carried by wind and water @ 5% of (G.B. only)	(3481.40 x 5/100) =	217.10 Cum
3	Quantity of muck disposed in filling area along R/W in 5% length	(5400.00 x 2.00 x 1.50)/2 x 5%	432.00 Cum
4	Quantity of stones used in scuppers and catch pit @ 57.00 cu.m. Per no.	= 57.00 x 30	1710.00 Cum
5	Quantity of stones used in R/W in 8% length	((5400 x (3.00+1.15)/2 x 3.00)) x 8%	1265.60 Cum
6	Quantity of stones used in Wire Crates for 3 Dumping zones	As per details	302.18 Cum
	Total quantity of muck used at site including weathering by nature		4836.43 Cum

Quantity of muck retained = 7815.49 - 4836.43 = 3109.07 Cum

निस्तारित की जाने वाली मलबे की मात्रा 3109.07 Cum [illegible] 3109.00 Cum

इस प्रस्ताव में [illegible] [illegible]

[illegible]

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :– [illegible]

Total quantity of Muck generated from road cutting

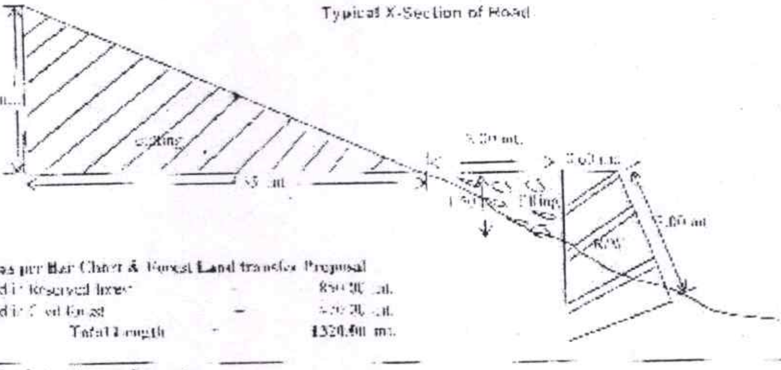

Forest Land as per Bar Chart & Forest Land transfer Proposal

A	Length of road in Reserved forest	–	850.00 mt.
B	Length of road in Civil Forest	–	[illegible] mt.
	Total Length	–	1320.00 mt.

Calculation of Muck As Above Length

1	Quantity of muck generated from cutting	[illegible]	x	[illegible]	1320.00	3.35	3.00	6633.30 Cum
2	Quantity of muck from scupper & catch pit							
A	Quantity of muck from scupper in civil land	1.00	x	6.00	3.35	3.00	3.00	180.90 Cum
B	Quantity of muck from catch pit in civil land	1.00	x	6.00	[illegible]	[illegible]	2.50	33.20 Cum
	Quantity of muck from Sl No 1, & 2 as above.						G-Total	6947.10 Cum
3	Taking F.R., O.R & H.R @ 50%, 30% & 20% respectively							
i.	50% F.R	6947.10	x	0.50				3473.55 Cum
ii.	30% O.R	6947.10	x	0.30				2084.13 Cum
iii.	20% H.R	6947.10	x	0.20				1389.42 Cum
					Total –			6947.10 Cum
4	Quantity of muck as swell factor of O.R. only	1.25	x	[illegible]				868.39 Cum
5	Quantity of total muck from sub Sl. No. 3 and 4		Sl. No. (3 + 4)					7815.49 Cum
	Quantity of total muck Generated			Say				7815.49 Cum

Disposal & use of material

1	Quantity used for super elevation, grade improvement & patch filling of road @ 10%	= (9980.01 x 10/100) =	981.53 Cum
2	Quantity carried by wind and water @ 5% of (Sl. No. 1)	(3481.40 x 5/100) =	217.10 Cum
3	Quantity of muck disposed at filling area as by RCW in 8% length	(5400.00 x 2.00 x 1.30) x 8%	432.00 Cum
4	Quantity of stones used in scuppers and catch pit @ 57.00 cu.m. Per no.	= [illegible]	1518.09 Cum
5	Quantity of stones used in RCW in 8% length	((5400 x 20.60) + [illegible] x 3.00)) x 8%	1265.60 Cum
6	Quantity of stones used in Wire Crates for 3 dumping zones	As per details	362.12 Cum
	Total quantity of muck used at site including weathering by nature		4306.43 Cum

Quantity of muck retained = 7815.49 – 4306.43 = 3109.07 Cum

निस्तारित की जाने वाली मलबे की मात्रा 3109.07 Cum अर्थात 3109.00 Cum

[illegible]

[illegible]

J.E.	Assistant Engineer Temp. Div. P.W.D. Kirtinagar	Executive Engineer Temp. Div. P.W.D. Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

[illegible]

Dumping Zone - 1 (K.M. 1)

20.00 m x 20.00 m x [illegible] m — Plan of dumping zone 1.

Capacity Of Dumping Zone No. 1	=	3/4	20.00	20.00	1.50	450.00 Cum

Dumping Zone - 2 (K.M. 1)

20.00 m x 10.00 m x 1.50 m — Plan of dumping zone 1

Capacity Of Dumping Zone No. 1	=	3/4	20.00	10.00	1.50	225.00 Cum

Dumping Zone - 3 (K.M. 1)

25.00 m x 10.00 m x 1.50 m — Plan of dumping zone 2

Capacity Of Dumping Zone No. 2	=	3/4	25.00	10.00	1.50	281.25 Cum

Dumping Zone - 4 (K.M. 2)

30.00 m x 15.00 m x 1.50 m — Plan of dumping zone 3.

Capacity Of Dumping Zone No. 3	=	3/4	30.00	15.00	1.50	506.25 Cum

Dumping Zone - 5 (K.M. 4)

[illegible] — Plan of dumping zone 5

Capacity Of Dumping Zone No. 5	=	3/4	25.00	20.00	1.50	562.50 Cum

Dumping Zone - 6 (K.M. 5)

30.00 m x 15.00 m x 1.50 m — Plan of dumping zone 3.

Capacity Of Dumping Zone No. 5	=	3/4	30.00	15.00	1.50	506.25 Cum

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Dumping Zone - 7 (K.M. 5)

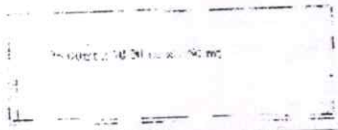

Plan of dumping zone 3

Capacity Of Dumping Zone No. 3	[illegible]	25.00	19.00	1.50	28[illegible].25 Cum

Dumping Zone - 8 (K.M. 6)

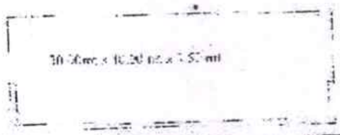

Plan of dumping zone 3

Capacity Of Dumping Zone No. 3	[illegible]	30.00	10.00	1.50	337.50 Cum

Total quantity of muck retained by Dumping zone = 3150.00

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

आज दि० 29/12/2015 को ग्राम पंचायत सिरौलीगाँव, मल्डीगाँव; दवेली पट्टी चन्द्रवदनी में खुली बैठक आयोजन किया गया। उक्त बैठक में ग्राम-पंचायत सिरौलीगाँव, मल्डीगाँव तथा दवेली में दवेली से मलेठी तक जो (06) छः कि० मी० मोटर मार्ग स्वीकृत है से रोड़ कटिंग के दौरान जो मलबा निकलेगा, उक्त मलबे को निस्तारण हेतु निम्न व्यक्ति सिरौलीगाँव- (1) श्री कृपाराम, सुन्दरलाल पुत्र रेवतराम (2) चण्डीप्रसाद पुत्र हेतू मकेश्वर दर्शनलाल पु० किशू (3) चण्डीप्रसाद पुत्र महेश्वर (4) अमरराम पु० कमला (5) लदल, बच्चू पुत्र मूर्ति (6) गणपति, गणेशप्रसाद पुत्र झौंकी (7) शिवलाल, माधवानन्द पुत्र विद्यादत्त।

मल्डीगाँव — (1) प्रतापसिंह, कुँवर सिंह, पुत्र चन्दनसिंह (2) मनोहरसिंह, भगवानसिंह पुत्र रामसिंह

दवेली — (1) बचनसिंह, प्रेमसिंह पु० देवी (2) लरवपति पुत्र प्रताप (3) बागसिंह पुत्र राम (4) लुदह, बच्चू पुत्र मूर्ति (5) बचनसिंह, प्रेमसिंह पुत्र देवी (6) सोबनसिंह पुत्र रामसिंह (7) जवरसिंह पुत्र तूरबी, आदि समस्त व्यक्तियों द्वारा अपने निजी खेतों में मलबा डम्पिंग करवाने को सहमत हैं।

हस्ताक्षर भू-स्वामी

(1) सुन्दरलाल Sundar Lal
(2) चण्डीप्रसाद चण्डिप्रसाद
(3) लुदसिंह लुदसिंह
(4) माधवानन्द
(5) अमरराम
(6) भगवानसिंह [illegible]
(7) बेरसिंह [illegible]
(8)

(1) प्रतापसिंह
(2) भगतसिंह

(1) प्रेम सिंह प्रेम सिंह
(2) बचनसिंह बचन सिंह
(3) सोबनसिंह सोबन सिंह
(4) भगतसिंह [illegible]
(5) दमिनीदेवी
(6) लुदसिंह [illegible]
(7) जवरसिंह जवरसिंह

Page-2-

खेत नं0 एवं रकबा निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	खाता नं0	खसरा नं0	रकबा
	सिरौलिव		
(1)	6	538	0.034
		544	0.023
		545	0.059
		546	0.030
	(5)	838	0.015
		843	0.075
(2)	24	835	0.059
		837	0.106
(3)	12	543	0.018
		547	0.033
		548	0.033
(4)	8	549	0.055
		836	0.070
		270	0.018
(5)	11	271	0.013
(6)	23	269	0.016
(7)	8	836	0.070
		270	0.018
(8)	25	272	0.020
		273	0.030

A-1-15

Page-No (3)

खेत नं० एवं रकबा निम्नप्रकार है।

क्र० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	
	मल्डीगाँव			
(1)	18	31	0.008	
		32	0.010	
		35	0.005	
		36	0.005	
		37	0.010	
		155	0.011	
		156	0.011	
		157	0.016	
		158	0.019	
		159	0.034	
(2)	28	33	0.009	
		34	0.010	

[illegible signature]

तहसील-देवप्रयाग

खेत नं० एवं रकबा निम्नप्रकार है।

क्र० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	
(2)	दरेली			
(1)	8	122	0.0138	
		339	0.038	
		384	0.019	
		385	0.019	
		386	0.014	
		387	0.011	
		390	0.031	
(2)	17	825	0.028	
		826	0.004	
		827	0.013	
(3)	9	828	0.109	
		829	0.011	
(4)	12	830	0.018	
(5)	22	338	0.036	
(6)	20	125	0.026	
		126	0.063	
(7)	18	127	0.015	
		128	0.024	

[illegible]
-1-15

पटवारी [illegible]
तहसील-देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल

BILL OF QUANTITY

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में सड़क योजना के अंतर्गत मंजाकोट से बंदाश मोटर मार्ग का निर्माण। (4 किमी०)

Sl. No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer in charge	53.90	Cum.	224.10	Cum.	12078.99
2	Random Rubble Masonry laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royality etc,required for proper cumplition of work.(As per PWD Uttarakhand specifications)	302.18	Cum.	1477.30	Cum.	446403.13
4	Total Area of Naap Land	0.280	Hec	370000.00	Hec	103600.00
				Total		562082.12

J.E.

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
New Tehri

Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
New Tehri

(107)

आगणन की लागत का सारांश

Name of Work :- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

क्रम संख्या	विवरण	लागत (लाख में)
1	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	Rs.562,082.12
	योग	Rs.562,082.12
	अर्थात लाख रु० में	Rs.5.62

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

कनिष्ठ अभियन्ता
उ०ग्रा०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय- कीर्तिनगर

सहायक अभियन्ता
उ०ग्रा०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय—कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
उ०ग्रा०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय- कीर्तिनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग